(A)

सामान्य अध्ययन (टेस्ट - II)

GENERAL STUDIES (Test - II)

मॉड्यूल - II / Module - II

DTVF/18–M–**GS2**

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time allowed: Three Hours

अधिकतम अंक: 250
Maximum Marks: 250

नाम (Name): Ravi Kumar Sihag

क्या आप इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं? | हाँ | | नहीं | |

मोबाइल नं. (Mobile No.):

ई-मेल पता (E-mail address):

टेस्ट नं. एवं दिनांक (Test No. & Date): 02/01/2018

रोल नं. [यू.पी.एस.सी. (प्रा.) परीक्षा-2018] [Roll.No. UPSC (Pre) Exam-2018]:

परीक्षा का माध्यम (Medium of Exam.): हिन्दी

विद्यार्थी के हस्ताक्षर (Student's Signature): RaviSihag

नोट: प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश अंतिम पृष्ठ पर संलग्न है।

Evaluation Analysis · सभी प्रश्नों को हल करें

- **Introduction:** B
- **Context:** B
- **Language:** B
- **Content:** B
- **MARKS:** 3½ /250
- **Conclusion:** D
- **Structure:** B+
- **Current Link / Examples:** —

Copyright – Drishti The Vision Foundation

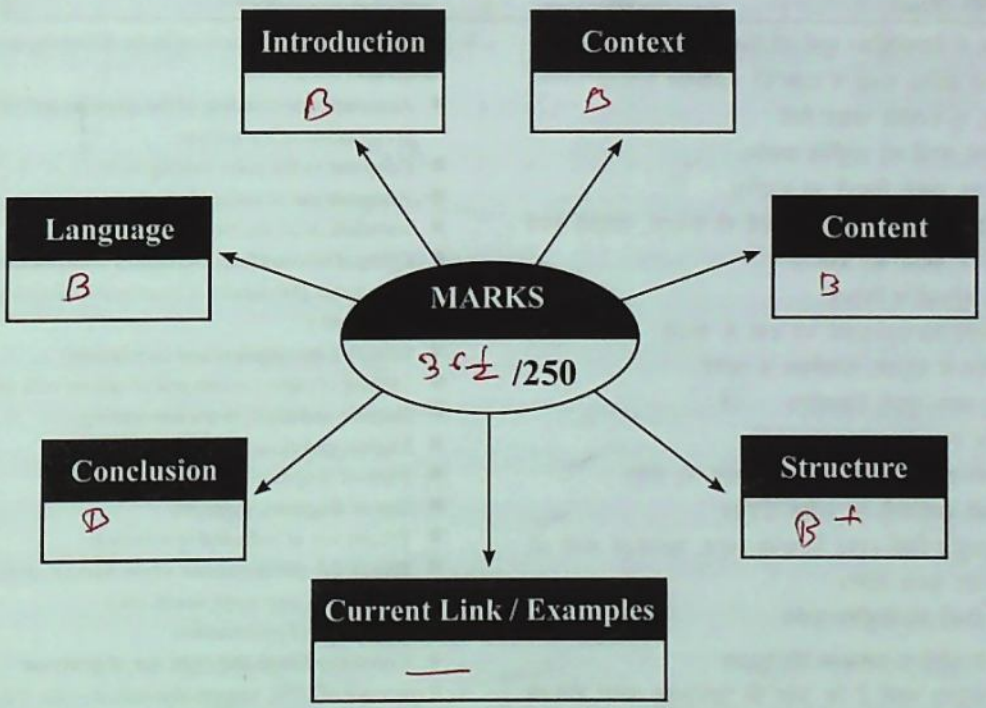

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

7. निःसंकोच 'लोकतांत्रिक मूल्य' किसी भी देश एवं समाज की प्रगति के बेहतर पैमाने होते हैं तथा भारतीय संविधान निर्माताओं ने बखूबी इसे एक जीवन दर्शन के रूप में स्थापित किया, तथापि आज भी राजनीतिक दलों की आंतरिक संरचना में इसका घोर अभाव दिखता है। विवेचना करें। (250 शब्द) 12.5

Undoubtedly, the 'Democratic Values' are better tools to assess the progress of a country and society and the makers of Indian constitution brilliantly established this as a philosophy of life. However, even today the internal structure of political parties grossly lacks them. Discuss. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

'जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन' लोकतंत्र कहलाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों से अभिप्राय शासन में भेदभावरहित जनता की भागीदारी से है। भारतीय संविधान की बात की जाए तो समानता का अधिकार, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, सार्वभौम मताधिकार के रूप में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास दिखता है (राजनीतिक लोकतंत्र)। इसके अलावा संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की व्यवस्था करता है।

भारतीय की संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्रतिमानों के रूप में मौजूद हैं जो अपनी एक निश्चित विचारधारा से संविधान के मूल्यों की स्थापना करना चाहते हैं परंतु यदि उनका आंतरिक मूल्यांकन करने पर हम पाते हैं कि स्थितियाँ इसके विपरीत हैं - स्वपक्ष सभी राजनीतिक दलों की संरचना में समाज के हर वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं है। कुछ दल जैसे शिवसेना, अकाली दल आदि तो साम्प्रदायिकता के आधार पर गठित हैं जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मूल्य 'पंथनिरपेक्षता' के खिलाफ भी है।

लैंगिक आधार की बात की जाए तो भी यही स्थिति विद्यमान है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में महिलाओं का

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

प्रतिनिधित्व न के बराबर है। 16 वीं लोकसभा के चुनावों में भी केवल 62 सीटें महिलाओं को प्राप्त हुई जो सामाजिक लोकतंत्र के सिद्धान्तों से मेल नहीं खाता।

जवाबदेहिता के स्तर पर देखें तो राजनैतिक दलों में पारदर्शिता का अभाव है। चंदे का नियमन हो या सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आना, लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। अनेक राजनीतिक दलों में आपराधिक प्रवृत्ति के सदस्य विद्यमान हैं। इसके अलावा चुनाव के समय भी परिपक्वता एवं विचारधारा नहीं बल्कि मुद्दों का प्रयोग कर चुनाव प्रचार किया जाता है।

इस प्रकार जिन लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने का स्वप्न संविधान निर्माताओं द्वारा देखा गया था वे राजनीतिक दलों की संरचना में काफी हद तक अनुपस्थित दिखते हैं।

पार्टियों में वंशवाद को बताना

इससे उत्पन्न समस्याओं की चर्चा करें।

अच्छा प्रयास

5

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	2	2	0.25	—	0.25	
Grade	B	B	B	B	—	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

9. वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय के रूप में राजकोषीय संघवाद को संतुलित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, फिर भी इसकी सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं है। विवेचना करें। (250 शब्द) 12.5

Finance Commission as a Constitutional body plays an important role in balancing the fiscal federalism, even then its recommendations are not binding in nature. Discuss. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा जो केन्द्र एवं राज्यों के मध्य शुद्ध आगमों के वितरण, वितरण के सिद्धान्तों आदि का परामर्श देगा। इस प्रकार विभिन्न आयोगों की परामर्शों का प्रयोग केन्द्र द्वारा कर राजस्व के वितरण, अनुदान के आवंटन में किया जाता है।

इतनी प्रमुख भूमिका प्रदान किए जाने के बाद भी वित्त आयोग की बाध्यकारी प्रवृत्ति न बनाए जाने को कुछ आधारों पर समझा जा सकता है। प्रथम, भारत ने आजादी के बाद सोवियत संघ की नियोजन अर्थव्यवस्था को अपनाया जिसमें पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का विकास करना सुनिश्चित हुआ। इस नियोजन में गैर-संवैधानिक, गैर-सांविधिक योजना आयोग का प्रमुख स्थान था। यदि वित्त आयोग की सलाह बाध्यकारी बना दी जाती तो इसमें व योजना आयोग में टकराव निश्चित था। दूसरा, संविधान निर्माताओं ने संघीय संविधान का निर्माण किया है जिसमें केन्द्र को प्रमुख शक्तियाँ दी गई है। इतनी विविधताओं वाले देश में नवनिर्मित राष्ट्र के राज्यों को अधिक स्वायत्तता देना देश की विखण्डनकारी ताकतों को बढ़ावा दे सकता था जो कि देश के भविष्य के प्रतिकूल होता। अतः वित्त आयोग की सिफारिशों को बाध्यकारी न बनाकर केन्द्र के हाथ में अधिक वित्तीय स्रोत दिए गए। तीसरे यदि आजादी के समय की परिस्थितियों की बात की जाए तो देश में वित्तीय संसाधन भी पर्याप्त नहीं थे। जो

वित्त आयोग के अन्य कर्तव्यों का उल्लेख करें।

अन्य कारणों की भी चर्चा करें।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

थोड़े बहुत संसाधन मौजूद थे, उन्हें केन्द्र ने ही रखकर विकास करना तय किया। यही भी एक कारण है कि वित्त आयोग की अनुशंसाएँ परामर्शकारी है।

उपर्युक्त बातों के अलावा यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि हालांकि वित्त आयोग की अनुशंसाएँ परामर्शकारी हैं परन्तु केन्द्र ने समय-समय पर इसकी अनुशंसाओं को स्वीकार किया है। 80 वां संविधान संशोधन (करों के बंटवारे से संबंधित), 88 वां संविधान संशोधन 2003 (सेवा कर से संबंधित) इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण सुधार हैं जो वित्त आयोग की ~~परामर्श~~ अनुशंसाओं से किए गए हैं।

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.5	2	1½	0.5	—	0.5	
Grade	B	B	C	D	—	D	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

11. क्या आप मानते हैं कि मूल कर्त्तव्य कानूनी बाध्यता एवं न्यायिक प्रवर्तनीयता के अभाव में एक खोखला दस्तावेज़ बनकर रह गए हैं? वर्मा समिति की संस्तुतियों के आधार पर अपने मत की विवेचना करें। (250 शब्द) 12.5

Do you agree that the Fundamental Duties have remained just a hollow document in absence of legal boundation and judicial enforcement? Discuss your opinion on the basis of recommendations of Verma Committee. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारत के मूल संविधान में मूल कर्त्तव्यों का अध्याय नहीं था। 1975 में सरदार स्वर्ण सिंह समीति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के आधार पर इन्हें भारतीय संविधान के भाग - 4(अ) में जोड़ा गया। इन्हें जोड़ने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अधिकारों के साथ साथ राष्ट्र में उनके मूल कर्त्तव्यों को याद दिलवाना था।

कुछ आलोचकों के अनुसार मूल कर्त्तव्यों को भी मूल अधिकारों की भाँति कानूनी रूप से बाध्य और न्यायिक प्रवर्तनीय बनाना चाहिये था और इनके बिना मूल कर्त्तव्य खोखले दस्तावेज हैं। सरसरी निगाह से देखें तो ऐसा कहना ठीक प्रतीत होता है क्योंकि अनेक व्यक्ति बिना बाध्यता के इन्हें नहीं निभाते हैं। परन्तु यदि गहराई से विचार करें तो भारतीय संविधान लोकतांत्रिक है जिसमें व्यक्तियों को स्वतंत्रता, समानता के अधिकार प्राप्त हैं और यदि मूल कर्त्तव्यों को बाध्य घोषित किया जाता तो यह एक प्रकार से मूल अधिकारों का दमन हो जाता क्योंकि मूल कर्त्तव्यों की पालना एक व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है और इसका मापन करना कि किस व्यक्ति ने कितना पालन किया भी असंभव है। ऐसा भी संभव था कि सरकार द्वारा मूल कर्त्तव्यों को हथियार बनाकर व्यक्ति के अधिकारों में कटौती कर राज्य में निरंकुशता को बढ़ावा दिया जाता।

1998 में इसी विषय पर गठित जस्टिस

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

वर्मा समीति ने भी यही विचार प्रस्तुत किया कि मूल कर्त्तव्यों को बाध्य एवं न्यायिक प्रवर्तनीय बनाना मूल अधिकारों के साथ टकराव को जन्म दे सकता था। इसके अलावा हमारी शासन व्यवस्था भी लोकतांत्रिक है न कि साम्यवादी जहाँ राज्य के प्रति कर्त्तव्यों से अधिक व्यक्ति के अधिकारों को मान्यता मिलती है।

इसके अलावा वर्मा समीति ने अनेक कानूनों का भी जिक्र किया जो कि नागरिकों को उनके कर्त्तव्य पालन हेतु बाध्य करते हैं जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, भारतीय ध्वज अधिनियम 1971, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, पुरातात्विक संरक्षण अधिनियम आदि।

इस प्रकार संविधान के लोकतांत्रिक स्वरूप एवं मूल अधिकारों को देखते हुए मूल कर्त्तव्यों को बाध्यकारी बनाना उचित प्रतीत नहीं होता। ऐसा करने से अनेक साम्यवादी देशों जैसे- चीन की भाँति व्यक्ति की स्वतंत्रता के सीमित होने का खतरा भी था।

सराहनीय प्रयास

6

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	2½	2½	0.25	—	0.25	
Grade	B	B+	B	B	—	A	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

12. लोकसभा तथा राज्य विधानसभा चुनावों में भारतीय मतदाताओं का मतदान व्यवहार भिन्न-भिन्न कारकों द्वारा संचालित होता है तथा दोनों जगह साथ-साथ चुनाव होने की स्थिति में क्षेत्रीय मुद्दे पृष्ठभूमि में चले जाएंगे। समालोचनात्मक परीक्षण करें। (250 शब्द) 12.5

The electoral behaviour of voters is driven by different factors in the elections to the LokSabha and State Assembly, and by conducting simultaneous elections for both, regional issues will fade into the background. Critically examine. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारत में संघीय व्यवस्था विद्यमान है जिसमें केन्द्र एवं राज्यों में अलग-अलग सरकारों की व्यवस्था है। 1967 के बाद में केन्द्र एवं राज्यों में चुनाव भी अलग-अलग होने लगे। यदि भारतीय मतदाताओं के मतदान व्यवहार की बात की जाए तो यह प्रमुखतः धर्म, जाति, क्षेत्रीयता, भाषा आदि संकीर्ण तत्वों से प्रभावित होता है तथा विकास एवं विचारधारा जैसे मुद्दे भी कुछ हद तक मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं।

देश में लोकसभा चुनाव विस्तृत राष्ट्रीय स्तर पर होता है परन्तु विधानसभा के चुनाव स्थानीय चुनावों मुद्दों के आधार पर लड़े जाते हैं। अनेक बार ऐसा देखने को मिला है कि एक ही राज्य के लोगों ने केन्द्र व राज्य में अलग-अलग दलों को विजयी बनाया हो जैसा कि 1967 के चुनाव में हुआ। विभिन्न क्षेत्रीय दलों का उदय इसी प्रवृत्ति के कारण हुआ।

यदि एक देश एक चुनाव की बात की जाए तो अनेक परीक्षणों द्वारा यह साबित हुआ है कि एक साथ चुनाव कराने से एक दल को अधिक फायदा मिलता है एवं स्थानीय मुद्दे अधर में चले जाएँगे। क्या ऐसा इसलिए है कि मतदाता भी द्वन्द्व की स्थिति में रहेगा और सामान्यतः ऐसा होता है कि केन्द्रीय दल को अधिक

एक साथ चुनाव कराने के सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की ओर स्पष्ट

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

लाभ मिलता है। जैसा कि 16 वीं लोकसभा चुनाव के दौरान भी कुछ कुछ देखने को मिला है। इसके अलावा 1967 तक केन्द्र-राज्य दोनों में कांग्रेस का शासन भी इसका एक उदाहरण है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि एक साथ चुनाव कराने से संघीय ढांचा प्रभावित हो सकता है क्योंकि केन्द्र में जीतने वाले दल के राज्य में जीतने की प्रबल संभावना बन सकती है। हालांकि यह निरापवाद नहीं है। 1967 में केन्द्र में कांग्रेस पार्टी होने के बावजूद गैर-कांग्रेसी सरकार का बनना इसका उदाहरण है।

4½

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान मे प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	2	1.5	0.25	—	0.25	
Grade	B	B	C	B	—	B	

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

13. वर्तमान में भारतीय न्यायिक व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों की विवेचना करें एवं इसके निवारण हेतु मौलिक उपाय सुझाएँ। (250 शब्द) 12.5

Discuss the discrepancies prevalent in the present Indian Judicial System and suggest the remedies to redress the same. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। अनेक अवसरों पर न्यायपालिका ने संविधान के मूल ढांचे, मूल अधिकारों की रक्षा में अपनी शक्तियों का परिचय देते हुए निष्पक्षता, ईमानदारी एवं कार्यकुशलता का परिचय दिया है परन्तु अभी भी अनेक विसंगतियाँ है जो न्यायिक व्यवस्था में विद्यमान है।

सर्वप्रथम, न्यायधीशों की नियुक्ति हेतु पारदर्शी प्रक्रिया का न होना है क्योंकि कॉलोजियम प्रणाली के तहत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायधीशों की नियुक्ति सर्वप्रथम न्यायपालिका द्वारा होती है जो कि अपारदर्शी व्यवस्था है। कई बार न्यायधीशों द्वारा अपने परिचितों की नियुक्ति भी कर दी जाती है जिसे 'अंकल जज' की संकल्पना कहा जाता है। दूसरी, न्यायपालिका द्वारा न्यायिक अतिसक्रियता दिखाते हुए कार्यपालिका एवं विधायिका की शक्तियों में हस्तक्षेप करना जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसके अलावा न्याय कार्य में देरी, न्यायिक छुट्टियों का लागू न होना, न्यायपालिका का सूचना के अधिकार अधिनियम से स्वयं को अलग करना, न्यायधीशों की कम संख्या आदि कुछ ऐसे ही विसंगतपूर्ण तत्व विद्यमान है।

यदि इनके निवारण की बात की जाए तो न्यायपालिका को भी जवाबदेहिता दिखानी चाहिये। उसे अपने न्यायधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना चाहिये। हालांकि तृतीय न्यायधीश मामले (1998) में न्यायपालिका ने राष्ट्रपति की शक्तियों को कम कर दिया

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias
Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

यो। इसके अलावा
- (क) मुख्य न्यायधीश का कार्यकाल सुनिश्चित करना।
(ख) राष्ट्रीय न्यायिक सेवा का गठन करना।
(ग) विवादों के निपटान की एक सुनिश्चित समयसीमा तय करना।
(घ) अदालतों का डिजीटलीकरण करना
(ङ.) न्यायपालिका को भी सूचना के अधिकार अधिनियम में लाना चाहिये।

इस प्रकार उपर्युक्त उपायों से न्यायपालिका में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाये जा सकते हैं। न्यायपालिका को भी जवाबदेही रखते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के आधार पर एवं 'न्यायिक संयम' का परिचय देते हुए कार्य करना चाहिये एवं विवादों के त्वरित निपटान हेतु संरचना में सुधार करना चाहिये।

श्रद्धा प्रयास

5

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.5	2	2	0.5	—	0.5	
Grade	B	B	B	B	—	B	

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

14. 'व्हिसिलब्लोअर संरक्षण अधिनियम-2014' के अभिलक्षणों की चर्चा करें। (250 शब्द) 12.5

Discuss the provisions of Whistleblowers Protection Act, 2014. (250 words) 12.5

2014 में पारित 'व्हिसलब्लोअर संरक्षण अधिनियम' देश में भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, जवाबदेहिता एवं मुख्यतः भ्रष्टाचार उजागर करने वाले (संचेतक) की सुरक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना गया जिसके प्रमुख प्रावधान निम्न हैं-

(i) इसमें केंद्रीय सतर्कता आयोग को प्रमुख एजेंसी बनाया है जो व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा के कार्य करेगी। कोई भी व्यक्ति प्रशासन में भ्रष्टाचार की घटना को उजागर कर सकता है।

(ii) इसमें व्हिसलब्लोअर की पूर्ण सुरक्षा एवं उसे पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा (पहचान)

(iii) इसमें गलत अथवा दुर्भावनापूर्ण एवं पूर्वाग्रह से युक्त शिकायत करने पर दण्ड का प्रावधान किया गया है। (तीसहजार र जुर्माना या दो साल जेल या दोनों)

(iv) कुछ महत्वपूर्ण विषयों को इस कानून से बाहर रखा गया है जैसे- राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मामले, सैन्य विभागों से जुड़ी जानकारियां, आदि

(v) इसमें बेनाम शिकायत नहीं की जा सकती है जैसे जिसके खिलाफ शिकायत है, उसका नाम न लिखना या शिकायतकर्ता द्वारा अपना नाम न लिखना। ऐसी शिकायतों पर आयोग कोई कार्यवाही नहीं करेगा।

(vi) शिकायत का स्वरूप पत्र या डिजीटल रूप जैसे ई-मेल, डाक, स्वयं जाकर आदि भी हो सकता है।

निष्कर्ष?

(margin remarks: अ-५ अभिलक्षणों का भी उल्लेख करें। सरकारी गोपनीयता कानून का लागू होना)

3½

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.5	1½	1½	0.5			
Grade	B	C	C	D			

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

16. क्या भारत की क्षेत्रीय अखंडता के समक्ष गंभीर चुनौती बनते जा रहे जम्मू-कश्मीर राज्य में जारी हिंसक प्रदर्शनों के समाधान के लिये इस राज्य की विशेष प्रास्थिति में संशोधन किये जाने की ज़रूरत है? भारत एवं जम्मू-कश्मीर राज्य के मध्य वर्तमान संवैधानिक संबंधों के आधार पर अपना मत प्रस्तुत करें। (250 शब्द) 12.5

Whether the special status given to the state of J&K needs to be amended to solve the violent demonstration prevalent in Jammu & Kashmir which is posing the serious challenge to territorial integrity of India, Give your opinion on the basis of present constitutional relations between India and the State of Jammu & Kashmir. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

पिछले कुछ समय से कश्मीर घाटी में जारी हिंसा, तनाव, पथराव, भारतीय सेना की कार्यवाही आदि कुछ ऐसे कारक हैं जो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और राष्ट्र की अखंडता पर भी गंभीर खतरे का कारण बन रहे हैं। कश्मीर के भारत में विलय पर कश्मीर को कुछ विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई थी और इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 370 भी जोड़ा गया।

दरअसल, कश्मीर की वर्तमान दशा के पीछे एक कारण विद्यमान नहीं है। 1947 में ही अंग्रेजों की कपटपूर्ण नीति, पाकिस्तानी आक्रमण, भारतीय नेताओं की अदूरदर्शिता, 1987 का जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव, पाकिस्तान द्वारा अलगाववादी नेताओं को समर्थन एवं वित्तपोषण, कई भारतीय सैनिक कानून आदि कुछ ऐसे कारक हैं जिन्होंने इस मसले को अत्यन्त संवेदनशील बना दिया है। इसके अलावा राज्य को प्राप्त पर्याप्त स्वायत्तता एवं हालिया अनुच्छेद-35 ए के मुद्दे के कारण भी राज्य पर केन्द्र की शक्तियाँ सीमित ही हैं।

Art 35A के प्रावधानों की भी चर्चा करें।

कश्मीर के हिंसक प्रदर्शनों के समाधान हेतु धारा 370 में भी कुछ संशोधन किए जा सकते हैं जैसे इसमें प्रयुक्त 'अस्थाई' की जगह 'विशेष' शब्द का इस्तेमाल करना। जहाँ तक धारा 370 को हटाने का प्रयास है, हालिया परिस्थितियों

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

में इस पर विचार करना मौजूदा तनाव को और बढ़ाना ही। अतः धारा 370 को हटाने की बजाय राज्य के नेताओं, विशेषज्ञों आदि से वार्ता कर इसमें संशोधन करने का ही प्रयास करना चाहिये ताकि राज्य के निवासियों को आतंकवाद के रास्ते से हटाकर विकास की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। इसके अलावा कुछ उपाय-

(i) जम्मू-कश्मीर में भारतीय सिविल सेवाओं की संख्या धीरे-धीरे कम करते हुए सीमित करना।

(ii) ~~धारा~~ अनुच्छेद 35-ए का समाधान निकालना जो एक प्रकार से समानता के अधिकार के विरुद्ध है

(iii) भारतीय सेना की जवाबदेही बढ़ाना एवं जिन क्षेत्रों में शांति व्याप्त है वहाँ धीरे-धीरे सैनिकों की संख्या कम करना।

निष्कर्ष ?

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

संशोधन के संबंध में पक्ष एवं विपक्ष को और स्पष्ट चर्चा करें

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.25	1½	1½	0.25			
Grade	B	C	C	B			

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।
(Please do not write anything except the question number in this space)

17. ग्रामीण क्षेत्रों के उपेक्षित समुदायों और निवासियों को मुख्यधारा की सुलभ कानूनी सहायता उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा शुरू किये गए 'टेली-लॉ कार्यक्रम' के मुख्य अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिये। (250 शब्द) 12.5

Highlight the Key features of 'Tele-law' programme launched by the government to provide accessible mainstream legal services to underprivileged communities and residents of rural areas. (250 words) 12.5

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।
(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

20. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान' के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार भारत मानसिक अस्वस्थता के गंभीर खतरे की ओर बढ़ रहा है। उक्त कथन की व्याख्या करें तथा इसके निवारण में 'मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा बिल' की भूमिका का परीक्षण करें। (250 शब्द) 12.5

According to a recent survey conducted by 'National Institute of Mental Health and Neuro Sciences', India is heading towards serious risk of mental illness. Discuss the above statement and examine the role of 'Mental Health Care Bill' in redressing this problem. (250 words) 12.5

'राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान' के हालिया सर्वेक्षण में भारत में स्व मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर बताई है। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव एवं शहरी मध्यवर्ग का अकेलापन, संत्रास, विसंगतिबोध भी है। संयुक्त परिवारों के टूटने से भी दूर लोगों के सहचर की समस्या के कारण वे भी मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ-साथ मानसिक रोगियों के प्रति उपेक्षा भरा भाव, मानसिक रोगों को रोग न मानकर उनकी अनदेखी करना एवं उचित सार्वजनिक व्यवस्था, चर्चा तथा सुविधा के अभाव के कारण भी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर है। हाल में लैंसट रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल स्वास्थ्य बजट का सिर्फ 1 प्रतिशत ही मानसिक स्वास्थ्य पर व्यय किया जाता है, जो कि चिंताजनक है।

इससे संबंधित आंकड़ों को भी चर्चा करें

हाल ही में 'मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा बिल' इन सभी समस्याओं के निवारण हेतु लाया गया था जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को भी एक अधिकार के रूप में मान्यता दी है + इसके अलावा रोगियों को उन्नत निर्देश (एडवांस डायरेक्टिव्स), राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य संस्थान का गठन एवं मानसिक स्वास्थ्य आयुक्तों की नियुक्ति का भी प्रावधान

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space)

Copyright – Drishti The Vision Foundation

दृष्टि The Vision

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें। (Please do not write anything except the question number in this space)

किया गया है। इसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परिभाषाओं में भी बदलाव किया गया है।

परन्तु इन सब प्रावधानों के साथ-साथ कुछ अन्य उपाय भी किए जाने चाहिये जैसे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य विषय पर अच्छे विद्यार्थियों को पढ़ना एवं देश में मनोचिकित्सकों की कमी को दूर किया जाना। इसके साथ-साथ यदि सरकार उक्त कानून के उचित क्रियान्वयन के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य बजट में वृद्धि करती है तो ही आने वाली इस गंभीर समस्या का कुछ समाधान किया जा सकता है।

5½

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें। (Please don't write anything in this space)

इससे संबंधित चुनौतियों की भी चर्चा करें।
↓
मनोचिकित्सकों की कमी

641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

कृपया इस स्थान में प्रश्न संख्या के अतिरिक्त कुछ न लिखें।

(Please do not write anything except the question number in this space)

कृपया इस स्थान में कुछ न लिखें।

(Please don't write anything in this space

	Introduction	Context	Content	Language	Current Link / Examples	Conclusion	Error
Marks	0.5	2	1½	0.5	—	0.5	
Grade	B	B	C	B	—	B	

Feedback

Questions .....

Model Answer & Answer Structure .....

Evaluation .....

Staff .....

Copyright – Drishti The Vision Foundation

रफ कार्य के लिये स्थान

(Space for Rough Work)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, मुखर्जी नगर, दिल्ली-9
दूरभाष : 011-47532596, 8750187501 (+91) 8130392354, 8130392356
ई-मेल: helpline@groupdrishti.com, वेबसाइट: www.drishtiIAS.com
फेसबुक: facebook.com/drishtithevisionfoundation, ट्विटर: twitter.com/drishtiias

Copyright – Drishti The Vision Foundation

प्रश्न-पत्र के लिये विशिष्ट अनुदेश

कृपया प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों में छपे हैं।

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिये गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहियें जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिये। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिये।

प्रश्न-सह-उत्तर-पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिये।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instruction carefully before attempting questions:

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All the questions are compulsory.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

रफ कार्य के लिये स्थान

(Space for Rough Work)

Copyright – Drishti The Vision Foundation